न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 115/2025

अन्तर्गत धारा 53 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कयमा पत्नी सायब 2. करीमत पत्नी गाजीखान 3. खमीशाखान पुत्र सायब 4. जनिमत पत्नी उर्श खान 5. जरीना पुत्री सायब 6. नागू पुत्र रहमान 7. मुसे खान पुत्र हमीर 8. यारू पुत्र सायब 9. रमजान पुत्र सायब 10. सायबी पुत्री सायब 11. हाजी पुत्र हासम जाति मुसलमान, निवासी रतनुओं की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. गफुर पुत्र दोसू 2. नूरां पत्नी दोसू 3. सतार पुत्र दोसू जाति मुसलमान, निवासी रतनुओं की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. मैनेजर, आरएमजीबी शाखा भींयाड़ 5. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादीगण – श्री भगवानदास गोयल।
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 – श्री बालाराम गोदारा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 07.05.2026

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल भींयाड़ के ग्राम रतनुओं की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1219/667 रकबा 6.1512 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	कयमा पत्नी सायब 1/36, खमीशाखान पुत्र सायब 1/36, जरीना पुत्री सायब 1/36, यारू पुत्र सायब 1/36, रमजान पुत्र सायब 1/36, सायबी पुत्री सायब1/36, करीमत पत्नी गाजीखान 1/9, जनिमत पत्नी उर्श खान 1/9, नागू पुत्र रहमान 1/3, मुसे खान पुत्र हमीर 1/6, हाजी पुत्र हासम 1/9 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार रहन नांगू का हिस्सा आरएमजीबी शाखा शिव	रतनुओं की ढाणी	1219/667	4.6134	बा.चा.	–	लाल
2	गफूर पुत्र दोसू 1/3, सतार पुत्र दोसू 1/3, नूंरा पत्नी दोसू 1/3 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	रतनुओं की ढाणी	1219/667	1.5378	बा.चा.	–	हरा

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner